

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012020-215149

CG-DL-E-04012020-215149

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2020/पौष 11, 1941

No. 35]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/ PAUSHA 11, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 35(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में NH548C के कि.मी. 101.74 से कि.मी. 159.258 (में रोड मजलगाओं, डिस्ट्रिक्ट बीड, महाराष्ट्र) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल अफसर & लैंड एक्वीजिशन अफसर, मजलगाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में NH548C के कि.मी. 101.74 से कि.मी. 159.258 (मैं रोड मजलगाओं, डिस्ट्रिक्ट बीड, महाराष्ट्र) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: बीड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: धारूर					
गांव का नाम: चोरंबा					
1	116	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.2000000(हेक्टेयर)	1.2000000
2	117	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.3000000(हेक्टेयर)	0.3000000
3	118	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.4500000(हेक्टेयर)	1.4500000
4	119	निजी	एग्रीकल्चर	0.5000000(हेक्टेयर)	0.5000000
5	122	निजी	एग्रीकल्चर	0.3600000(हेक्टेयर)	0.3600000
गांव का नाम: धारूर					
1	251	निजी	एग्रीकल्चर	2.1900000(हेक्टेयर)	2.1900000
2	462	निजी	एग्रीकल्चर	2.2200000(हेक्टेयर)	2.2200000
3	463	निजी	एग्रीकल्चर	0.9200000(हेक्टेयर)	0.9200000
4	464	निजी	एग्रीकल्चर	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
5	466/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.3300000(हेक्टेयर)	0.3300000
6	466/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.2900000(हेक्टेयर)	0.2900000

गांव का नाम: कारी					
1	12	निजी	एग्रीकल्चर	2.0100000(हेक्टेयर)	2.0100000
2	169	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
तालुक का नाम: माजलगाव					
गांव का नाम: माजलगाव (पालीका)					
1	142	निजी	एग्रीकल्चर	0.2900000(हेक्टेयर)	0.2900000
2	235	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
3	248	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0320000(हेक्टेयर)	0.0320000
गांव का नाम: पात्रुड					
1	112	निजी	एग्रीकल्चर	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
कुल				12.5150	12.5150

[फा. सं. 12037/78/2017-MAH(P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

S.O. 35(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH548C in the stretch of land from Km. 101.74 to Km.159.258 (Main Road Majalgaon, District Beed, Maharashtra) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer & Land Acquisition officer, Majalgaon in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH548C in the stretch of land from NH548C (Main Road Majalgaon, District Beed, Maharashtra) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA District: BEED					
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dharur					
Village: Choramba					
1	116	Government	Agriculture	1.2000000(Hectare)	1.2000000
2	117	Government	Agriculture	0.3000000(Hectare)	0.3000000
3	118	Government	Agriculture	1.4500000(Hectare)	1.4500000
4	119	Private	Agriculture	0.5000000(Hectare)	0.5000000
5	122	Private	Agriculture	0.3600000(Hectare)	0.3600000
Village: Dharur					
1	251	Private	Agriculture	2.1900000(Hectare)	2.1900000
2	462	Private	Agriculture	2.2200000(Hectare)	2.2200000
3	463	Private	Agriculture	0.9200000(Hectare)	0.9200000
4	464	Private	Agriculture	0.1400000(Hectare)	0.1400000
5	466/1	Private	Agriculture	0.3300000(Hectare)	0.3300000
6	466/2	Private	Agriculture	0.2900000(Hectare)	0.2900000
Village: Kari					
1	12	Private	Agriculture	2.0100000(Hectare)	2.0100000
2	169	Government	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Taluk: Majalgaon					
Village: Majalgaon (MC)					
1	142	Private	Agriculture	0.2900000(Hectare)	0.2900000
2	235	Private	Non Agriculture	0.0030000(Hectare)	0.0030000
3	248	Private	Non Agriculture	0.0320000(Hectare)	0.0320000
Village: Pathrud					
1	112	Private	Agriculture	0.2700000(Hectare)	0.2700000
TOTAL				12.5150	12.5150

[F. No. 12037/78/2017-MAH(P-6)/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.